भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2134

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम द्वारा देय बकाया धनराशि

2134. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में केंद्र, राज्य और निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को वितरण कंपनियों (डीआईएसकॉम) द्वारा देय कुल बकाया धनराशि राज्यवार कितनी है;

(ख) क्या उक्त बकाया धनराशि के निस्तार के लिए कोई योजना प्रस्तावित की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक बकाया धनराशि वाले राज्यों में शामिल हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है और कोयला-आधारित, गैस-आधारित, जल-विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनियों का श्रेणीवार हिस्सा दर्शाने वाला अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2022 में कुल बकाया धनराशि लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये थी, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कम किया गया है, और यदि हां, तो इस कमी के प्रमुख कारण क्या हैं;

(च) विलंबित भुगतान का विद्युत उत्पादन और ईंधन आपूर्ति पर क्या प्रभाव है; और

(छ) सरकार की भविष्य में इस प्रकार की बकाया धनराशि के संचय को रोकने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (छ) : (i) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 3 जून, 2022 को विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम, 2022) अधिसूचित किए। इन नियमों के तहत, दिनांक 3 जून 2022 तक विलंब भुगतान अधिभार सहित सभी देय राशि उत्पादन कंपनियों (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता), अंतर-राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारियों और व्यापार लाइसेंसधारियों के बकाया को पिछले बकाया के रूप में माना गया और समान

मासिक किश्तों (ईएमआई) में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान के लिए पुन: निर्धारित नियत तारीखों के साथ पुनर्निर्धारित किया गया। तदनुसार, 13 राज्यों ने दिनांक 03.06.2022 तक 1,39,947 करोड़ रुपये के बकाए की सूचना दी, जिसे ईएमआई तंत्र के तहत पुनर्निर्धारित किया गया था।

एलपीएस नियम वर्तमान बकाया राशि के समयबद्ध निपटान के लिए एक फ्रेमवर्क भी निर्धारित करते हैं और वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा लगातार भुगतान चूक की स्थिति में प्रगतिशील विनियमन का प्रावधान करते हैं।

(ii) इन उपायों के परिणामस्वरूप, संबंधित वितरण यूटिलिटी द्वारा 43 ईएमआई का भुगतान किया गया है, जिसमें कुछ यूटिलिटी द्वारा पिछली बकाया राशि का अग्रिम-भुगतान भी शामिल है, और दिनांक 10.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार पिछली बकाया राशि घटकर 4,109 करोड़ रुपये रह गई है। डिस्कॉम भी नियमों के तहत कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपने वर्तमान बकाया का भुगतान कर रहे हैं।

(iii) वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा उत्पादन कंपनियों (जेनको) को विलंबित भुगतान से नकदी प्रवाह की समस्या होती है, जिससे जेनको की समय पर पर्याप्त ईंधन खरीदने की क्षमता बाधित होती है, जिसके कारण संयंत्र का उत्पादन कम हो सकता है और विद्युत की कमी हो सकती है। इस तरह की देरी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं सहित नई विद्युत उत्पादन क्षमता में निवेश को भी प्रभावित करती है। एलपीएस नियमों ने विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति को सुविधाजनक बनाते हुए जेनको के बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद की है।

(iv) इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए डिस्कॉम का मूल्यांकन करने के लिए परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के तहत एलपीएस नियमों का अनुपालन एक पूर्व-योग्यता मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

(v) इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉम/ट्रांसको/जेनको को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड बनाए हैं। इनका अनिवार्य रूप से मतलब है कि डिस्कॉम और अन्य राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटी को दिए गए ऋण निर्धारित शर्तों के मुकाबले उनके प्रदर्शन पर निर्भर होंगे, जिसमें डिस्कॉम द्वारा एलपीएस नियमों का अनुपालन शामिल है।

(vi) एलपीएस नियमों के तहत डिस्कॉम द्वारा देय राज्य-वार बकाया राशि **अनुबंध-I** पर है। इसके अलावा**,** प्रमुख राज्यों की राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को देय बकाया राशि **अनुबंध-II** पर है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2134

अनुबंध-I

दिनांक 03.06.2022 तक राज्य-वार बकाया राशि और दिनांक 10.02.2026 तक आपूर्तिकर्ताओं* को भुगतान की जाने वाली शेष बकाया राशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 10.02.2026 तक स्थिति के अनुसार		
			डिस्कॉम के अनुसार पिछला बकाया	डिस्कॉम के अनुसार 43 इएमआई के भुगतान के बाद बकाया	प्राप्ति के अनुसार वर्तमान बकाया	कुल बकाया (वर्तमान + पुराना)
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पावर परचेज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी		0	1,561	1,561
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड		0	277	277
3	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड		0	76	76
4	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	18,309	0	69	69
5	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट	-	0	0	0
6	असम	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	0	29	29
7	बिहार	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	430	0	71	71
8	बिहार	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	662	0	0	0
9	चंडीगढ़	चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	-	0	0	0
10	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	4,162	0	68	68
11	दिल्ली	नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल	-	0	91	91
12	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	-	0	2	2
13	दिल्ली	दिल्ली टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	-	0	6	6
14	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	-	0	0	0
15	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	0	0	0
16	गोवा	गोवा पावर डिपार्टमेंट	-	0	1	1
17	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	-	0	6,546	6,546
18	हरियाणा	हरियाणा पावर परचेज सेंटर	-	0	124	124

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 10.02.2026 तक स्थिति के अनुसार		
			डिस्कॉम के अनुसार पिछला बकाया	डिस्कॉम के अनुसार 43 इएमआई के भुगतान के बाद बकाया	प्राप्ति के अनुसार वर्तमान बकाया	कुल बकाया (वर्तमान + पुराना)
19	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	-	0	36	36
20	जम्मू और कश्मीर	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	14,164	0	943	943
21	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	6,000	0	809	809
22	कर्नाटक	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	7,529	763	1,181	1,945
23	कर्नाटक	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	2,528	0	532	532
24	कर्नाटक	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	2,129	52	245	296
25	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,247	115	67	181
26	कर्नाटक	मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	125	13	1	14
27	केरल	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	-	0	70	70
28	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8,500	0	645	645
29	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	17,320	1,438	1,494	2,932
30	महाराष्ट्र	अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड	-	0	0	0
31	महाराष्ट्र	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड-मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन	-	0	48	48
32	मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	161	0	43	43
33	मेघालय	मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	0	17	17
34	मिजोरम	मिजोरम पावर डिपार्टमेंट	-	0	0	0
35	नागालैंड	नागालैंड पावर डिपार्टमेंट	-	0	21	21
36	ओडिशा	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा	-	0	241	241
37	पुडुचेरी	पुडुचेरी पावर डिपार्टमेंट	-	0	0	0
38	पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	0	498	498
39	राजस्थान	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	8,874	0	945	945
40	राजस्थान	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	9,264	0	443	443
41	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,096	0	270	270
42	राजस्थान	राजस्थान डिस्कॉम्स पावर प्रोक्योरमेंट	-	0	0	0

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 10.02.2026 तक स्थिति के अनुसार		
			डिस्कॉम के अनुसार पिछला बकाया	डिस्कॉम के अनुसार 43 इएमआई के भुगतान के बाद बकाया	प्राप्ति के अनुसार वर्तमान बकाया	कुल बकाया (वर्तमान + पुराना)
		सेंटर				
43	सिक्किम	सिक्किम पावर डिपार्टमेंट	-	0	0	0
44	तमिलनाडु	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17,734	1,729	172	1,901
45	तेलंगाना	सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना	6,973	0	132	132
46	तेलंगाना	तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	2,977	0	25	25
47	त्रिपुरा	त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	0	85	85
48	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,762	0	2,938	2,938
49	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड	-	0	1	1
50	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	0	57	57
51	पश्चिम बंगाल	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	0	247	247
52	पश्चिम बंगाल	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	-	0	2	2
53	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	0	52	52
		कुल	**1,39,947**	**4,109**	**21,178**	**25,287**

* आपूर्तिकर्ताओं में उत्पादन, पारेषण और व्यापारिक कंपनियां शामिल हैं

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2134

अनुबंध-II

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख राज्यों की राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को देय बकाया राशि

प्रमुख राज्य	**विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य (करोड़ रुपये)**
आंध्र प्रदेश	
एपीजेनको	8,538
असम	
एपीजीसीएल	446
छत्तीसगढ़	
सीएसपीजीसीएल	2,590
गुजरात	
जीईएल	331
हरियाणा	
एचपीजीसीएल	905
झारखंड	
जेयूयूएल	29
कर्नाटक	
केपीसीएल	12,398
मध्य प्रदेश	
एमपीपीजीसीएल	6,205
महाराष्ट्र	
एमएसपीजीसीएल	25,454
मेघालय	
एमईपीजीसीएल	552
ओडिशा	
ओपीजीसीएल	521
राजस्थान	
आरआरवीयूएनएल	-
तेलंगाना	
टीएसजेनको	11,649
उत्तर प्रदेश	
यूपीआरवीयूएनएल	7,090
उत्तराखंड	
यूजेवीएनएल	322
पश्चिम बंगाल	
डब्ल्यूबीपीडीसीएल	10,917
कुल	**87,948**

****